आ. एन. 35646/79
Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
लाइसेंस संख्या 24 - बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए. भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

286
मई
2003

नीति

ऋणदाताओं के लिए उचित प्रथा संहिता

रिज़र्व बैंक ने बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया है कि वे निम्नलिखित स्थूल दिशा-निर्देश अपनायें तथा अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उचित प्रथा संहिता तैयार करें। भारत सरकार द्वारा गठित ऋणदाता दायित्व विधि संबंधी कार्य-दल की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने ऋणदाताओं के लिए उचित प्रथा संहिता लागू करने की संभावना की जांच सरकार, चुने हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से की है।

दिशा-निर्देश

ऋण के लिए आवेदन पत्रों की जांच

(क) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दो लाख रुपये तक के अग्रिमों के संबंध में ऋण आवेदन के फार्म व्यापक होने चाहिए। इसमें शुल्क/प्रभार, यदि कोई हों, आवेदन पत्र स्वीकार न होने की स्थिति में ऐसे शुल्क की वापस की जा सकने वाली राशि, पूर्व भुगतान के विकल्प तथा ऋणकर्ता के हित को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मामले के संबंध में जानकारी होनी चाहिए।

(ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे सभी ऋण आवेदनपत्रों की पावती दें। इस तरह की पावती में यह भी जानकारी होनी चाहिए कि दो लाख रुपये तक के आवेदनपत्रों का निपटान कब तक कर दिया जायेगा।

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण आवेदनपत्रों का सत्यापन उचित समय में कर लेना चाहिए। यदि कोई अतिरिक्त ब्यौरे/दस्तावेज चाहिए हों तो उसकी जानकारी ऋणकर्ता को तुरंत दी जानी चाहिए।

(घ) दो लाख रुपये तक का ऋण मांगने वाले छोटे ऋणकर्ताओं के मामले में ऋणदाता को चाहिए कि वह निर्धारित समय में आवेदक को लिखित रूप में बताये कि उचित विचार के बाद किन-किन मुख्य कारणों से बैंक की राय में ऋण आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया है।

ऋण मूल्यांकन

(क) बैंक/वित्तीय संस्था यह यह सुनिश्चित करे कि ऋणकर्ता के ऋण आवेदनपत्र का उचित मूल्यांकन किया गया है। उन्हें मार्जिन और जमानत की शर्त को ऋणकर्ता की ऋण पात्रता के बारे में उचित अध्यवसाय के विकल्प के रूप में नहीं लेना चाहिए।

(ख) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऋण-सीमा की जानकारी नियमों और शर्तों के साथ ऋणकर्ता को दें और इन नियमों और शर्तों को ऋणकर्ता की पूर्ण जानकारी में रिकॉर्ड में रखें।

(ग) ऋण देने वाली संस्थाओं और ऋणकर्ता द्वारा बातचीत के बाद बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जानेवाली ऋण सुविधाओं को शासित करने वाले नियम और शर्तें तथा अन्य आपत्ति सूचनाएं लिखित रूप में रखी जानी चाहिए और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उन्हें विधिवत् प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऋण करार और ऋण करार में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति ऋणकर्ता को दी जानी चाहिए।

(घ) जहां तक हो सके, ऋण करार में ऐसी ऋण सुविधाओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जो पूरी तरह ऋणदाताओं के विवेक पर हैं। इनमें सुविधाओं का अनुमोदन या अनुमति न देना शामिल हो सकता है, जैसे मंजूर की गयी सीमाओं से अधिक आहरण, ऋण मंजूरी में विशेष रूप से सहमत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए चेक का भुगतान तथा उसके अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण या मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण ऋण खाते से आहरण की अनुमति न देना। यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कारोबार में वृद्धि के कारण ऋणकर्ताओं की और अपेक्षाओं को ऋण सीमाओं की उपयुक्त समीक्षा के बिना पूरा करने का ऋणदाता का कोई दायित्व नहीं है।

(ङ) सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण दिये जाने के मामले में, सहभागी ऋणदाताओं को ऐसी क्रियाविधि शुरू करनी चाहिए, जिससे कि प्रस्तावों का मूल्यांकन यथासंभव समयबद्ध रूप में पूरा किया जा सके तथा वित्त देने या न देने के संबंध में अपने निर्णय की सूचना उचित समय में दे देनी चाहिए।

ऋण का वितरण

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसी मंजूरी को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अनुरूप मंजूर किये गये ऋण का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज दरों, सेवा प्रभारों आदि सहित शर्तों में होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन केवल प्रत्याशित रूप से किया जाता है।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
ऋणदाताओं के लिए उचित प्रथा संहिता	1
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : चूककर्ताओं वाले समूहों को वित्तपोषण	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - खज़ाने की समवर्ती लेखा परीक्षा	4
ओटीएस के लिये समय-सीमा बढ़ायी गयी	4
वर्ष 2003-2004 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति	
मूल उधार दर	2
वाणिज्यिक पत्र	2
निवेश उतार चढ़ाव रिज़र्व	2
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	3
जमाराशियों का रखा जाना - गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	3
कॉल मनी लेनदेनों को एनडीएस में रिपोर्ट करना	3
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	3
सहकारी बैंक	
शहरी सहकारी बैंक बीमा प्रीमियम के ब्यौरे प्रकट करेंगे	4
विदेशी मुद्रा	
निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं	4
विदेश में वेयरहाउसों को निर्यात	4
संवर्धन के लिए सामान का निर्यात	4

वितरण के बाद

(क) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरण के बाद पर्यवेक्षण, विशेष रूप से दो लाख रुपये तक के ऋणों के संदर्भ में, रचनात्मक होना चाहिए ताकि ऋणकर्ता के सामने आनेवाली *ऋणदाता से संबंधित* किसी वास्तविक कठिनाई पर ध्यान दिया जा सके।

(ख) करार के अंतर्गत ऋण वापस मांगने/भुगतान जल्दी करने या कार्य-निष्पादन में तेजी लाने को कहने या अतिरिक्त जमानत मांगने का निर्णय लेने के पहले ऋणदाता द्वारा ऋण करार में निर्दिष्ट किये गये अनुसार ऋणकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए या ऋण करार में ऐसी शर्त न होने पर उचित समय दिया जाना चाहिए।

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऋण का भुगतान प्राप्त होने या ऋण की वसूली होने पर ऋणकर्ताओं को, ऋणदाताओं के खिलाफ अपने किसी अन्य दावे के लिए उचित ग्रहणाधिकार (लियन) की शर्त पर सभी जमानतें लौटा दें। क्षतिपूर्ति के ऐसे अधिकार का प्रयोग करने पर ऋणकर्ता को उन शेष दावों और दस्तावेजों के बारे में पूरे ब्यौरे देते हुए नोटिस दिया जाये जिनके अंतर्गत ऋणदाता, संबंधित दावे का निपटान/भुगतान होने तक जमानत रखने का हकदार है।

सामान्य

(क) बैंक/वित्तीय संस्थाओं को, ऋण मंजूरी के दस्तावेजों की शर्तों में किये गये प्रावधान को छोड़कर (जब तक ऋणकर्ता द्वारा पहले प्रकट न की गयी नयी सूचना ऋणदाता की जानकारी में आयी हो) ऋणकर्ताओं के कार्यकलाप में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

(ख) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तथापि, इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनायी गयी ऋण संबद्ध योजनाओं में ऋणदाताओं के भाग लेने की रोक नहीं है।

(ग) ऋणों की वसूली के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुचित रूप से परेशान किये जाने का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए अर्थात् ऋणदाताओं को बेवक्त लगातार बल का प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए।

(घ) यदि ऋणकर्ता या किसी बैंक/वित्तीय संस्था से, जो उसके खाते को लेनेवाली है, ऋण खाते के अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त हो तो सहमति या असहमति, अर्थात् यदि ऋणदाता को कोई आपत्ति हो तो, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर सूचित की जानी चाहिए।

पहली अगस्त तक शुरू की जाने वाली प्रथा संहिता

इन दिशा-निर्देशों के आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उचित प्रथा संहिता दिये जाने वाले सभी संभावित ऋणों के संदर्भ में पहली अगस्त 2003 तक तैयार कर ली जानी चाहिए। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह स्वतंत्रता होगी कि वे दिशा-निर्देशों की व्याप्ति बढ़ाते हुए उचित प्रथा संहिता का प्रारूप तैयार करें परंतु किसी भी हालत में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पीछे निहित भावना का उल्लंघन न हो। इस प्रयोजन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों को स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया गया है कि उक्त संहिता अपनाने, आवश्यक ऋण आवेदन फार्मों की प्रिंटिंग तथा शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों में उनका परिचालन भी जून 2003 के अंत तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनायी जाने वाली उचित प्रथा संहिता को अपनी वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इसकी एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक को भी भेजी जानी चाहिए।

शिकायत निवारण

निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए संगठन के भीतर शिकायत निवारण का उचित तंत्र भी स्थापित करना चाहिए। इस तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण देने वाली संस्थाओं के कार्यालयों के निर्णयों के फलस्वरूप उठने वाले सभी विवादों को अगले उच्चतर स्तर पर सुना जाता है और उनको निपटाया जाता है। निदेशक बोर्डों को उचित प्रथा संहिता के अनुपालन तथा नियंत्रक कार्यालयों के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की कार्य-प्रणाली की आवधिक समीक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ऐसी समीक्षाओं की समेकित रिपोर्ट बोर्ड को, उसके द्वारा निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जाये।

वर्ष 200

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2003-2004 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति 29 अप्रैल 2003 को घोषित की (URL :www.cpolicy.rbi.org.in)। नीति में लिये गये निर्णयों को लागू करने के लिए बैंक ने मई के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी कीं:

मूल उधार दर

बैंकों के ऋण उत्पादों के मूल्यन में अधिक पारदर्शिता लाने तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि मूल उधार दर वास्तविक लागत दर्शाये, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपनी बेंच-मार्क मूल उधार दर का निर्धारण करते समय नीचे दिये गये सुझावों पर विचार करें:

(क) बैंकों को बेंच-मार्क मूल उधार दर निर्धारित करते समय अपनी (i) निधियों की वास्तविक लागत; (ii) परिचालन व्यय तथा (iii) प्रावधान/पूंजी प्रभार तथा लाभ मार्जिन संबंधी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखना चाहिए। बैंकों को अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से बेंच-मार्क मूल उधार दर घोषित करनी चाहिए।

(ख) बेंच मार्क मूल उधार दर दो लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए अधिकतम दर बनी रहेगी।

(ग) चूंकि अन्य सभी उधार दरें आवधिक प्रीमियम/जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए बेंच-मार्क मूल उधार दर के अनुसार निर्धारित की जायेंगी, अतः काल-संबद्ध मूल उधार दर की प्रणाली को समाप्त करना उचित होगा। इन किस्तों को मूल उधार दर के उच्च तथा निम्न दायरों में फैक्टर किया जा सकता है।

काल-संबद्ध मूल उधार दर को समाप्त करने के लिए प्रभावी तारीख के संबंध में बैंकों से आगे चर्चा करके निर्णय की घोषणा यथासमय अलग से की जायेगी।

ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से तथा ग्राहकों से ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दरों के संबंध में अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ली जाने वाली अधिकतम तथा न्यूनतम ब्याज दरों तथा बेंच-मार्क मूल उधार दर के संबंध में जानकारी प्रदान करना जारी रखें।

बैंकों द्वारा बेंच-मार्क मूल उधार दर का निर्धारण तथा बेंच-मार्क मूल उधार दर के वास्तविक दायरे की समीक्षा सितंबर 2003 में की जायेगी। अतः बैंक उक्त सुझावों पर की गयी कार्रवाई की जानकारी रिज़र्व बैंक को यथाशीघ्र दें।

वाणिज्यिक पत्र

वाणिज्यिक पत्र जारी करने वालों और वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने वालों - अर्थात् दोनों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि वाणिज्यिक पत्र जारी करने हेतु साख वृद्धि के लिए कार्पोरेट सहित गैर-बैंक संस्थाएँ शर्त रहित और अप्रतिसंहरणीय (इरिवोकेबल) गारंटी प्रदान करें, बशर्ते:

- वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाला वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करता हो;
- गारंटी देनेवाले को, किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग संस्था ने ऐसी क्रेडिट रेटिंग दी हो जो जारीकर्ता की तुलना में कम से कम एक श्रेणी बेहतर हो; और
- वाणिज्यिक पत्र जारी करने के प्रस्तावित दस्तावेज में, गारंटी देने वाली कंपनी की निवल संपत्ति, उन कंपनियों के नाम जिन्हें गारंटी देने वाली कंपनी ने इसी तरह की गारंटी दे रखी है, गारंटी देने वाली कंपनी ने कितनी राशि के लिए गारंटी दे रखी है, और किन परिस्थितियों में गारंटी प्रवर्तित की जाएगी, इस बात का विधिवत् उल्लेख हो।

बैंक गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा गारंटीकृत वाणिज्यिक पत्रों में निवेश कर सकते हैं परंतु शर्त यह होगी कि उनके द्वारा दिया जाने वाला ऋण, गैर-जमानती ऋणों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी विनियामक सीमा के भीतर हो।

निवेश उतार चढ़ाव रिज़र्व

यह निर्णय लिया गया है कि निवेश उतार चढ़ाव रिज़र्व (इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व) को टीयर II पूंजी के रूप में गिना जाता रहेगा, यह कुल जोखिम भारित आस्तियां की 1.25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन नहीं होगा। अलबत्ता, अनुपालन के प्रयोजन से पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के व्यय आइएफआर सहित टीयर II पूंजी कुल टीयर I पूंजी के अधिकतम 100 प्रतिशत तक विचारार्थ ली आयेगी। यह निर्णय 31 मार्च 2003 से लागू है।

3-2004 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति

अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2003 में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये थे। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अब सूचित किया गया हैं कि यदि प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर है (अर्थात् बही मूल्य में से धारित प्रावधान घटाकर), तो उक्त कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे डाल देना चाहिए। यह परिकल्पना की गयी है कि बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को पर्याप्त डिस्काउंट पर बेच सकेंगे। इसके फलस्वरूप, यदि कोई कमी आती है तो उसे पूरा करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी अनर्जक आस्तियों के लिए न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं से काफी अधिक का प्रावधान रखें, खास तौर से उन आस्तियों के लिए, जिन्हें वे प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचना चाहते हैं।

जमाराशियों का रखा जाना - गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपनी जमाराशियां मजबूत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:

(क) मजबूत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जिसके पास गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक अपनी जमाराशियां रखना चाहते हैं, निम्नलिखित मानदंडों का पालन करते हों:

(i) सीआरएआर का निर्धारित स्तर का अनुपालन कर रहा है।

(ii) शुद्ध एनपीए 7 प्रतिशत से कम है।

(iii) पिछले दो वर्षों में सीआरआर/एसएलआर की अपेक्षाओं को बनाए रखने में चूक नहीं की है।

(iv) पिछले लगातार तीन वर्षों में शुद्ध लाभ घोषित किया है।

(v) सहकारी लेखापरीक्षकों से पिछले लगातार तीन वर्षों में ए रेटिंग प्राप्त की है।

(vi) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण, ऋणादि (एक्सपोज़र) की उच्चतम सीमा एवं निदेशकों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने के बारे में विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन कर रहा है।

(ख) अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से जमाराशियों का स्वीकार किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) किसी बैंक द्वारा स्वीकारी गई कुल अंतर-शहरी सहकारी बैंक जमाराशियां पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी जमा संबंधी देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दर की पेशकश बाजार दर से संबंधित होनी चाहिए।

(iii) किसी गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के पास रखी गई जमाराशियां उसकी पूंजीगत निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि वह ऋणादि जोखिम संबंधी मौजूदा मानदंडों के अनुरूप रहे।

अलबत्ता, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, अनुसूचित/गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास अपनी जमाराशियां नहीं रखेंगे।

इससे पूर्व अप्रैल 2001 में शहरी सहकारी बैंकों को, अपनी समाशोधन और प्रेषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू खाता शेषों को छोड़कर, अन्य शहरी सहकारी बैंकों के पास कोई भी नई जमाराशि रखने से मना किया गया था। इसके अलावा, ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के लिए, जिन्होंने अन्य शहरी सहकारी बैंकों के पास सावधि जमा या मीयादी जमा के रूप में निधियां रखी हुई थीं, उनके लिए जून 2002 की समाप्ति से पहले बकाया जमाराशियों को निकाल लेना आवश्यक था। भारत सरकार द्वारा गठित गीते समिति की सिफारिशों और उक्त निर्धारण का अनुपालन करते हुए अपनी अल्पकालीन अधिशेष निधियों को रखने में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बीच मामले की समीक्षा की गयी और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को वर्ष 2003-04 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति के अनुसार मजबूत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास जमाराशियां रखने की अनुमति दी गयी।

कॉल मनी लेनदेनों को एनडीएस में रिपोर्ट करना

तीन मई 2003 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि सरकारी प्रतिभूतियों, मांग/सूचना/मीयादी मुद्रा, जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) में किए गए सभी लेनदेन स्वत: तयशुदा लेन-देन प्रणाली के माध्यम से रिपोर्ट करने होंगे बशर्ते वह लेनदेन तयशुदा लेन-देन प्रणाली केअंतर्गत किए गये हों। यदि लेन-देन तयशुदा प्रणाली के बाहर किए गये हों तो लेन-देन समाप्त होने के 15 मिनट के भीतर रिपोर्ट करने होंगे।

रिज़र्व बैंक सितंबर 2003 में समीक्षा करेगी कि शहरी सहकारी बैंक एनडीएस के अपने सभी लेनदेनों की रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई एनडीएस सदस्य लेनदेनों की सूचना निरंतर रूप से नहीं देता, तो इस पर विचार किया जाएगा कि क्या उस सदस्य द्वारा इस प्रकार से सूचना न दिए गए लेनदेनों को भविष्य की किसी तारीख से अवैध मान लिया जाये।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त

यह निर्णय लिया गया है कि ट्रिप सिंचाई/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/कृषि मशीनरी के डीलर, भले ही वे किसी भी स्थान पर स्थित हों, कृषि हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत 20 लाख रुपये तक के वित्त के लिए पात्र होंगे।

इससे पूर्व इस तरह का वित्त, जिसे कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उस स्थिति में उपलब्ध था, अगर डीलर ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हो।

आवास हेतु ऋण

ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में आवास की बढ़ती मांग और इन क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र के वित्तपोषण को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि बैंक, अपने बोर्डों के अनुमोदन से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में आवासीय क्षेत्र को दस लाख रुपये तक का प्रत्यक्ष वित्त देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

खास खास बातें

समीक्षा

- मुद्रास्फीति की स्थिति, सूखे के बावजूद 2002-2003 के दौरान चौथी तिमाही को छोड़ कर औसत आधार पर नीची बनी रही।
- रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद प्रारक्षित मुद्रा में कम वृद्धि।
- 2002-03 के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम^3) लक्षित सीमाओं की भीतर बनी रही।
- 2002-03 के दौरान ऋण आपूर्ति में लगातार वृद्धि।
- बैंकों की ब्याज दरों में तथा सरकारी तथा कार्पोरेट विलेखों में ब्याज दरों में तीव्र गिरावट।
- सरकारी उधार कार्यक्रम को लंबी अवधि के लिये नीची ब्याज दर लागत पर पूरा किया गया। कार्पोरेट विलेखों पर ब्याज दरें अब तक के सब से कम स्तर पर।
- बाह्य ऋणों को जोड़े बिना अल्प प्रभावी लागत पर प्रारक्षित निधियों का भंडार तैयार हुआ।
- नीची ब्याज दरों और मज़बूत विदेशी मुद्रा स्थिति ने बाहरी ऋणों की समय पूर्व अदायगी के लिए अनुकूल स्थितियां बनायीं।

अवस्थिति

- रिज़र्व बैंक ऋण वृद्धि को पूरा करने तथा निवेश मांगों को सहारा देने के लिए पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध करायेगा।
- नरम तथा लचीले ब्याज दर परिवेश के प्रति झुकाव जारी रहेगा।

उपाय

- बैंक दर में 0.25 प्रतिशत की कमी की गयी।
- सीआरआर में 0.25 प्रतिशत पाइंट की कमी की गयी।
- निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा जारी रहेगी।
- बैंक-स्टॉप सुविधा पर ब्याज दर घटायी गयी।
- बैंकों की प्रमुख ब्याज दर (पीएलआर) तय करने के लिए पारदर्शी प्रणाली।
- परावर्तनीय विदेशी मुद्रा और साथ ही साथ रुपया अनिवासी जमाराशियों के अवधि समाप्ति ढांचे में एकरूपता।
- विदेशी निवेशों को उदार बनाया गया और एफडीआइ के आगमनों के लिए विदेशी निवेशकों को लचीलेपन की अनुमति।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के तंत्र में सुधार के लिए और उपाय।
- संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकों के लिए विवेकशील उपायों में परिवर्तन।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
30 मई तथा 31 मई 2003 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : चूककर्ताओं वाले समूहों को वित्तपोषण

भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि जानबूझ कर चूक करने वालों को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तपोषण न दिया जाए। साथ ही, यदि जानबूझ कर चूक करनेवाले समूह के सदस्य हैं तो, परिक्रामी निधि की सहायता से बनायी गयी राशि सहित समूह के बचत और उधार गतिविधियों से मिलने वाले लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। परंतु आर्थिक गतिविधियों की सहायता की स्थिति में जानबूझ कर चूक करनेवालों को और अधिक लाभ तब तक नहीं देना चाहिए, जब तक वे बकाया ऋणों की चुकौती नहीं करते। समूह के जानबूझ कर चूक करनेवालों को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलने चाहिए और ऋण प्रलेखन के समय समूह को ऐसे चूककर्ताओं को छोड़कर वित्तपोषण किया जाए। साथ ही, जानबूझ कर चूक न करनेवालों को एक दल द्वारा प्रमाणित किया जाए जिसमें खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या उसके प्रतिनिधि, बैंक प्रबंधक और सरपंच होंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक ही घर में दो रसोईघर या दो राशन कार्ड होना, दो परिवारों को इंगित करता है। ऋण आवेदक द्वारा दिये गये इस तरह के केवल घोषणा पत्र कि वह परिवार से अलग रहता है, अलग परिवार के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जाए। जैसा कि शर्तों में परिभाषित किया गया है राशन कार्ड प्राप्त करने में विभिन्न आधार स्तरीय कठिनाइयाँ होने के कारण इसे लाने की आवश्यकता पर ज़ोर न दिया जाये। अत: बैंक अपने शाखा प्रबंधकों को सूचित करें कि संदिग्ध मामलों में निर्णय लेते समय तथ्य निर्धारित करने के लिए वे निरीक्षण/दौरा करके अपने स्वयं के तरीके अपनाएँ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - खज़ाने की समवर्ती लेखा परीक्षा

रिज़र्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों को सूचित किया है कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खजाना लेन-देनों की समवर्ती लेखा परीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा पृथक रूप से की जानी चाहिए और उनकी लेखा परीक्षा के परिणाम प्रत्येक महीने में एक बार बैंक के मुख्य कार्यपालकों के सामने रखे लाएं। ये लेखा परीक्षा रिपोर्टें नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी जानी चाहिए।

समवर्ती लेखा परीक्षक यह भी प्रमाणित करेंगे कि प्रत्येक तिमाही में रिपोर्ट करने वाले अंतिम शुक्रवार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा धारित निवेश जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये गये उनके वास्तविक प्रतिभूतियों या अभिरक्षक के विवरण में दर्शाये गये अनुसार प्रत्यक्ष रूप में उनके पास हैं। नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित तिमाही समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर भारित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी चाहिए। 31 मार्च 2003 को समाप्त होनेवाली तिमाही के रिपोर्ट करने वाले अंतिम शुक्रवार के लिए ऐसा प्रमाणपत्र नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को 30 अप्रैल 2003 से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ओटीएस के लिये समय-सीमा बढ़ायी गयी

रिज़र्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से एकसमयी समायोजन योजना (ओटीसी) के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों के समझौता समायोजनों के लिए उधारकर्ताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करने की समय-सीमा को 30 अप्रैल 2003 से बढ़ा कर 30 सितंबर 2003 कर दिया है। वह आखिरी तारीख, जिस तक बैंक आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, भी 31 अक्तूबर 2003 से बढ़ा कर 31 दिसंबर 2003 कर दी गयी है।

भारत सरकार तथा रिज़र्व बैंक को दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के सिलसिले में बैंकों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे।

सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक बीमा प्रीमियम के ब्यौरे प्रकट करेंगे

शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी तुलनपत्र जानकारी में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को बीमा प्रीमियमों के भुगतान के संबंध में सूचना प्रकट करें। तदनुसार, सभी शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में यह सूचना प्रकट करें कि क्या निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को अद्यतन बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है जिसमें 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष से प्रभावी बकाया राशियों, यदि कोई हों, को दर्शाया गया हो।

विदेशी मुद्रा

निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं

भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास या विदेश में बैंक में विदेशी मुद्रा खाता रखने वाले निवासी व्यक्तियों को, विदेशी मुद्रा विनियमावली में निर्धारित सीमा तक अनुमत, विदेशी बैंकों और अन्य ख्याति प्राप्त एजेंसियों द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड लेने की छूट है। इस तरह के कार्डों पर भारत अथवा विदेश में लगने वाले प्रभार, कार्ड धारक के इस तरह के विदेशी मुद्रा खाते/खातों में रखी राशियों में से पूरे किये जा सकते हैं अथवा इन्हें केवल भारत से बैंक के माध्यम से, जहां खाता धारक का बचत अथवा चालू खाता हो, प्रेषणों के जरिये, यदि कोई हों, किये जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रेषण, कार्ड जारी करने वाली एजेंसी को विदेश में सीधे ही किये जाने चाहिए न कि तीसरी पार्टी को।

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि लागू ऋण सीमा वह सीमा होगी जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा तय की जाएगी। इस सुविधा के अंतर्गत प्रेषणों के लिए, यदि कोई हों, रिज़र्व बैंक द्वारा कोई उच्चतम मौद्रिक सीमा तय नहीं की गयी है।

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यही प्रतिबंध, जो निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों पर इस समय लागू होते हैं, प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे लॉटरी टिकट, बैन की गयी या गैर कानूनी पत्रिकाओं की खरीद, सट्टेबाजी में हिस्सा लेना, कॉल बैक सेवाओं के लिए भुगतान आदि पर लागू होंगी।

विदेश में वेयरहाउसों को निर्यात

प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे निर्यातकों को विदेश में वेयरहाउस खोलने/किराए पर लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दे सकते हैं:

(क) आवेदक का निर्यात बकाया पिछले वर्ष में किए गए निर्यात के पांच प्रतिशत से ज्यादा न हो।

(ख) आवेदक का पिछले साल में न्यूनतम निर्यात टर्नओवर 1,00,000 अमरीकी डॉलर हो।

(ग) वसूली की अवधि गैर स्टेटस धारक निर्यातकों के लिए 180 दिन और स्टेटस धारक निर्यातकों के लिए 365 दिन होगी ।

(घ) सभी लेनदेन प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा के माध्यम से किए जाएंगे।

प्राधिकृत व्यापारी ऐसी अनुमति शुरुआत के तौर पर एक साल के लिए दे सकते हैं और उसके बाद नवीकरण हेतु यह शर्त है कि आवेदक का निर्यात बकाया उसके पिछले वर्ष की निर्यातों के 5 प्रतिशत से अधिक न हो। अनुमति देनेवाले प्राधिकृत व्यापारी दी गई अनुमतियों का उचित रिकार्ड रखें।

संवर्धन के लिए सामान का निर्यात

यह निर्णय लिया गया है कि प्रधिकृत व्यापारी अब निर्यात संवर्धन के लिए बिना किसी लागत के सामान का निर्यात करने के लिए निर्यातकों के आवेदनों पर विचार कर सकते हैं। ऐसे निर्यात पिछले तीन वर्ष के दौरान आवेदक के औसत वार्षिक निर्यातों के दो प्रतिशत होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये होगी। प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि वे उनके द्वारा दी गयी अनुमतियों का रिकार्ड रखें।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **प्रिंटराइट,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।**